न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.
पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 12/2023
GCMS NO. : 2023/20

–: वादी :– **बनाम** **–: प्रतिवादीगण :–**

1. तुलसाराम पुत्र लालूराम जाति माली, निवासी बिकरलाई हाल निवासी जैतारण, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

बनाम

1. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार, जिला ब्यावर।
2. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा निम्बोल, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.15/02/2023

उपस्थितः–

1. श्री गोतम गहलोत, अधिवक्ता वादी।
2. श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2
3. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 30/01/2024**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि है कि सरहद मौजा बिकरलाई, पटवार हल्का रामावासकलां, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 227 रकबा 0.2671 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.5827 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 247 रकबा 10.2142 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 244 रकबा 13.4355 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 249 रकबा 1.1655 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.6961 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम की कृषि भूमि आई हुई है। जिस पर वादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने हक–हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पिता लालूराम पुत्र चोलाराम का देहान्त होने पर जरिये फौतदगी म्युटेशन के खसरा नम्बर 227, 256 में वादी का नाम तुलसाराम पुत्र लालू इन्द्राज कर दिया गया एवं खसरा नम्बर 247, 244 मे वादी का नाम तुलछाराम पुत्र लालू इन्द्राज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 245, 249, 250 में वादी का नाम तुलच्छाराम पुत्र लालुराम दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जबकि वादी का सही व वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम तुलसाराम पुत्र लालूराम है। वादी के आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान कार्ड, इन्कम टेक्स पेनकार्ड, पेंशन पीपीओ, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, कक्षा 10 वीं का प्रमाणपत्र, कक्षा 11 वीं का प्रमाण पत्र, बी.ए. की डिग्री, एल.एल.बी. की डिग्री, सनद, खसरा संख्या 246 रकबा 0.3076 हेक्टेयर गै0मु0 ढाणी इत्यादि दस्तावेजात में वादी का नाम तुलसाराम पुत्र लालूराम दर्ज है, जो दस्तावेजात वादपत्र के साथ सलग्न है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी नामान्तरकरण में गलत नाम तुलसाराम पुत्र लालु, तुलछाराम पुत्र

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

लालू, तुलच्छाराम पुत्र लालुराम दर्ज कर देने से वादी को कई प्रकार की कठिनाईयों एवं समस्याओं का सामना करना पड रहा है तथा वादी अपने नाम से किसान केडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है तथा न ही केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। वादी ने प्रधानमंत्री किसान योजना में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब वादी को सर्व प्रथम दिनांक 10/10/2022 को जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड में वादी का जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के गलत नाम कुछेक खसरा नम्बर में तुलसाराम पुत्र लालु. कुछेक खसरा नम्बर में तुलछाराम पुत्र लालु एवं कुछेक खसरा नम्बर मे तुलच्छाराम पुत्र लालुराम दर्ज है तब वादी ने प्रतिवादी को आवेदन पत्र पेश कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने जरिये फौतेदगी नामान्तरण के गलत नाम तुलसाराम पुत्र लालु, तुलछाराम पुत्र लालु व तुलच्छाराम पुत्र लालुराम के स्थान पर संशोधन कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में वादी का सही व वास्तविक एव दस्तावेजी नाम तुलसाराम पुत्र लालूराम दर्ज करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया एवं न्यायालय के आदेश से ही राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने का कथन किया इसलिए वादी की ओर से यह वादपत्र बाबत घोषणा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादी का नाम जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एव राजस्व रेकर्ड में वादी अपना सही एव वास्तविक तथा दस्तोवजी नाम तुलसाराम पुत्र लालूराम से दर्ज करवाने एव इन्द्राज करवाने का अधिकारी वादी होने से उक्त वादपत्र घोषणा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। बिनाय वाद दिनाक 10/10/2022 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं प्रतिवादी को राजस्व रेकर्ड में अपना सही व वास्तविक नाम इन्द्राज करने का कथन करने पर प्रतिवादी द्वारा न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन पर बमुकाम बिकरलाई, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एव श्रवणाधिकार का होने से उक्त वादपत्र श्रीमानू के समक्ष अन्दर मियाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब दावा प्रश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करना चाहते है, आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः प्रतिवादी संख्या 02 का जवाब दावा बन्द किया गया।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादी का नाम जरिये आदेश/वसीयत नामान्तरकरण संख्या 572 दिनांक 02.05.2006 के खसरा नम्बर 244/1, 247/1, 256 एवं 227 में अन्य खातेदारों के साथ तुलसासराम पुत्र लालु दर्ज हुआ। खसरा नम्बर 245 में जरिये बेचान तुलछाराम पुत्र लालुराम तथा खसरा नम्बर 249 एवं 250 में जरिये बेचान तुलछाराम पुत्र लालुराम दर्ज हुआ है। वादपत्र के साथ संलग्न आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, पेंशन पी.पी.ओ. इत्यादि में वादी का नाम तुलसाराम पुत्र लालूराम अंकित है। यह सही है कि जमाबन्दी के अलग-अलग खातों में वादी का नाम अलग-अलग शब्दों में दर्ज है। वादी का अलग-अलग खातों में दर्ज तुलसाराम पुत्र लालु, तुलछाराम पुत्र लालुराम के बजाय तुलसाराम पुत्र लालुराम दर्ज किया जाना माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। जवाब देहान्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रैक)

बहस वकील उभयपक्ष की राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष एवं तहसीलदार जैतारण पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पाट्वा की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 (प्रदर्श–1) के खसरा नम्बर 247 रकबा 10.2142 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम में 'तुलछाराम पुत्र लालू' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। इसी प्रकार (प्रदर्श–2) खसरा नम्बर 244 रकबा 13.4353 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम में 'तुलछाराम पुत्र लालू' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। (प्रदर्श–3) खसरा नम्बर 245 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0बेरा में 'तुलच्छाराम पुत्र लालुराम' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। (प्रदर्श–4) खसरा नम्बर 249, 250 रकबा 1.8616 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम में 'तुलच्छाराम पुत्र लालुराम' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। (प्रदर्श–5) खसरा नम्बर 227 रकबा 0.2671 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में 'तुलसाराम पुत्र लालु' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। (प्रदर्श–6) खसरा नम्बर 256 रकबा 0.5827 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम में 'तुलसाराम पुत्र लालू' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 247 को खसरा नम्बर 545/247 एवं खसरा नम्बर 546/247 के रूप में दर्ज किया गया। खसरा नम्बर 545/247 एवं 546/247 दोनो में 'तुलछाराम पुत्र लालू' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है।
2. वादी तुलसाराम पुत्र लालूराम ने अपने साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 में सशपथ कथन किया कि ''मुझ वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी नामान्तरकरण से गलत नाम तुलसाराम पुत्र लालु, तुलछाराम पुत्र लालू, तुलच्छाराम पुत्र लालुराम दर्ज कर देने से वादी को कई प्रकार की कठिनाईयों व समस्यों का सामना करना पड़ता है। मुझ वादी के आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान कार्ड, इन्कम टेक्स पेनकार्ड, पेंशन पीपीओ, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, कक्षा 10 वीं का प्रमाणपत्र, कक्षा 11 वीं का प्रमाण पत्र, बी.ए. की डिग्री, एल.एल.बी. की डिग्री, सनद, खसरा संख्या 246 रकबा 0.3076 हेक्टेयर गै0मु0 ढाणी इत्यादि दस्तावेजात में वादी का नाम तुलसाराम पुत्र लालूराम दर्ज है।''
3. प्रदर्श दस्तावेजों प्रदर्श–7ए (आधार काडी), प्रदर्श–8ए (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र), प्रदर्श–9ए (आयकर विभाग द्वारा जारी पेन काडी), प्रदर्श–10ए (राजस्थान सरकार द्वारा जारी पेंशन पीपीओ), प्रदर्श–11ए (भामाशाह कार्ड की रसीद), प्रदर्श–12ए (स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा जारी बैंक पासबुक की प्रति), प्रदर्श–13ए (सैकण्डरी स्कूल परीक्षा, 1972 का प्रमाण–पत्र), प्रदर्श–14ए (हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1973 का प्रमाण–पत्र), प्रदर्श–15ए (जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा जारी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री), प्रदर्श–16ए (जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा जारी बैचलर ऑफ लॉज़ की डिग्री), प्रदर्श–17ए (बार कौन्सिल ऑफ राजस्थान जोधपुर द्वारा जारी नामांकन प्रमाण–पत्र) एवं प्रदर्श–18ए (जमाबंदी संवत् 2076–2076 खसरा नम्बर 246) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी का सही व दस्तावेजी नाम तुलसा राम माली पुत्र लालू राम है।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

4. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा अपने जवाब दावा में कथन किया गया कि वादी का नाम जरिये आदेश/वसीयत नामान्तरकरण संख्या 572 दिनांक 02.05.2006 के खसरा नम्बर 244/1, 247/1, 256 एवं 227 में अन्य खातेदारों के साथ तुलसासराम पुत्र लालु दर्ज हुआ। खसरा नम्बर 245 में जरिये बेचान तुलछाराम पुत्र लालुराम तथा खसरा नम्बर 249 एवं 250 में जरिये बेचान तुलछाराम पुत्र लालुराम दर्ज हुआ है। वादी का अलग-अलग खातों में दर्ज तुलसाराम पुत्र लालु, तुलछाराम पुत्र लालुराम के बजाय तुलसाराम पुत्र लालुराम दर्ज किया जाना माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। जवाब देहान्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण का जवाब दावा एवं वादी के शपथ-पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 227 रकबा 0.2671 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.5827 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम ग्राम घोडावड के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि **तुलसाराम पुत्र लालु कौम माली** एवं खसरा नम्बर 545/247 रकबा 1.3926 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 546/247 रकबा 8.6114 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 244 रकबा 13.4355 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम ग्राम घोडावड के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि **तुलछाराम पुत्र लालू कौम माली** एवं खसरा नम्बर 245 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 249 रकबा 1.1655 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.6961 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम ग्राम घोडावड के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि **तुलच्छाराम पुत्र लालुराम** के स्थान पर वादी का सही व दस्तावेजी नाम **तुलसा राम** माली **पुत्र लालू राम** दर्ज किया जाना उचित समझते है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ प्रविष्टि **'तुलसाराम पुत्र लालु, तुलछाराम पुत्र लालू, तुलच्छाराम पुत्र लालुराम'** दर्ज है वहाँ वादी का सही व दस्तावेजी नाम **'तुलसा राम माली पुत्र लालू राम'** दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी **अधिनियम**, 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिकरलाई, पटवार हल्का रामावासकलां, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 227 रकबा 0.2671 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.5827 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम के **भू-अभिलेख** में जहाँ-जहाँ **'तुलसाराम पुत्र लालु'** अंकित है उसे विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि **'तुलसा राम माली पुत्र लालू राम'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 545/247 रकबा 1.3926 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 546/247 रकबा 8.6114 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 244 रकबा 13.4355 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम के **भू-अभिलेख** में जहाँ-जहाँ **'तुलछाराम पुत्र लालू'** अंकित है उसे विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि **'तुलसा राम माली पुत्र लालू राम'** को दर्ज करते

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 245 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 249 रकबा 1.1655 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.6961 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम के **भू-अभिलेख** में जहाँ-जहाँ **'तुलच्छाराम पुत्र लालुराम'** अंकित है उसे विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि **'तुलसा राम माली पुत्र लालू राम'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक **30/01/2024** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण**
बईजलास :- **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

-: वादी :-	बनाम	-: प्रतिवादी :-
1. तुलसाराम पुत्र लालूराम जाति माली, निवासी बिकरलाई हाल निवासी जैतारण, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।		1. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार, जिला ब्यावर। 2. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा निम्बोल, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0- 12/2023

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री गौतम गहलोत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण एवं तहसीलदार, जैतारण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा बिकरलाई, पटवार हल्का रामावासकलां, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 227 रकबा 0.2671 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.5827 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ **'तुलसाराम पुत्र लालु'** अंकित है उसे विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि **'तुलसा राम माली पुत्र लालू राम'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 545/247 रकबा 1.3926 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 546/247 रकबा 8.6114 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 244 रकबा 13.4355 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ **'तुलछाराम पुत्र लालू'** अंकित है उसे विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि **'तुलसा राम माली पुत्र लालू राम'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 245 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 249 रकबा 1.1655 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.6961 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ **'तुलच्छाराम पुत्र लालुराम'** अंकित है उसे विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि **'तुलसा राम माली पुत्र लालू राम'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी।इसी मुताबिक डिक्री पर्चा निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **30/01/2024** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	8.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुतफरिक	0.00
मिजानः–	11.00	मिजानः–	1.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।